

भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1336
(11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई जी के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु धनराशि

1336. श्री सुनील बोस:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत लाभार्थियों को आवास निर्माण हेतु अनुदान देने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि वर्तमान अनुदान लाभार्थी के आवास का निर्माण पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) क्या सरकार ने अनुदान राशि बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(चंद्रशेखर पेम्मासानी)

(क): प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) का उद्देश्य उन सभी लोगों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है जिनके पास 2 या उससे कम कमरों के कच्चे आवास हैं और जिनके नाम यथोचित रूप से सत्यापित स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) और आवास+ सूची में शामिल हैं। लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी)-2011 के तहत निर्धारित आवास वंचना मापदंडों और बहिर्निवेशन मानदंडों के आधार पर की गई है। बहिर्निवेशन मानदंडों के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्ल्यूएल) नामक एक प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है। पीडब्ल्यूएल ग्राम सभाओं द्वारा सत्यापन और उसके बाद अपीलीय प्रक्रिया के पूरा होने के अध्यधीन है। बहिर्निवेशन की

यह प्रक्रिया राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आवास+ में पंजीकृत लाभार्थियों पर भी लागू होती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ अतिरिक्त ग्रामीण आवासों के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने हेतु वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान 5 और वर्षों के लिए योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदन प्रदान किया है। योजना के तहत संशोधित बहिर्वेशन मानदंडों का उपयोग करके पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास+ सूची को अद्यतन करने के लिए भी अनुमोदन प्रदान किया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के अनुरूप, इस योजना के तहत अतिरिक्त पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान के लिए एक सर्वेक्षण किया जा रहा है। सर्वेक्षण आवास+ 2024 मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है जिसे संशोधित बहिर्वेशन मानदंडों के साथ दिनांक 17.09.2024 को पहले ही शुरू किया जा चुका है।

(ख) और (ग): पीएमएवाई-जी के तहत मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर राज्यों, पहाड़ी राज्यों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र सहित) में 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता प्रदान की जाती है। लाभार्थियों को इकाई सहायता के अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के साथ अनिवार्य अभिसरण के माध्यम से 90/95 श्रम दिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी की सुविधा दी जाती है। स्वच्छ भारत मिशन - ग्रामीण (एसबीएम-जी) , मनरेगा या वित्त पोषण के किसी अन्य विशेष स्रोत के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता भी प्रदान की जाती है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2 करोड़ से अधिक आवासों के निर्माण के लिए मौजूदा इकाई सहायता के अनुसार पीएमएवाई-जी को मार्च, 2029 तक जारी रखने का अनुमोदन प्रदान किया है।
